न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 13/2021

रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00015

		अभियुक्त :–
राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	श्री आदेश जैन पुत्र श्री हजारीमल जैन मालिक विक्रेता मैसर्स हजारी नमकीन भण्डार, हाउसिंग बोर्ड सर्किल के पास, बॉसवाडा, (राज.) स्थायी पता – 1–जे–31, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, बॉसवाडा (राज.)

उपस्थित :–

श्री आदेश जैन

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 24.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 25–02–2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 29–12–2020 को 2.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु मैसर्स हजारी नमकीन भण्डार, हाउसिंग बोर्ड सर्किल के पास, बॉसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री आदेश जैन उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर एक प्लास्टिक के कट्टे में करीब 10 कि0ग्रा0 नमकीन सेव (बेसन, मुंगफली, तेल, मिर्च, लोंग, कालीमिर्च, हींग, अजवाईन एवं आयोडाईज्ड नमक से निर्मित) आम जनता को विक्रय हेतु पायी गई। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए आम जनता को बिक्री हेतु रखी करीब 10 कि0ग्रा0 नमकीन सेव मे से 2 कि0ग्रा0 वास्ते नमुना जॉच हेतु साफ, सुखी एवं खाली स्टील की ट्रे में खरीदी तथा इनकी कीमत 400 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। [illegible] के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ [illegible] क्रय [illegible] अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन–2020 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ [illegible] अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन [illegible] किया। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा 2 कि0ग्रा0 नम[illegible] सेव को चार साफ, सुखे [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.03.25 16:59:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

24/3/21
15

प्लास्टिक के जारो में बराबर–बराबर (प्रत्येक मे करीब 500 ग्राम) भरकर फार्मेलीन की 40 बूंद प्रत्येक में डालकर जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/39 दिनांक 14.01.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 3 दिनांक 08.01.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय की गई नमकीन सेव खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 03–03–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 24.03.2021 को अभियुक्त की ओर से श्री भगवत पुरी एड्वोकेट का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। **श्री आदेश जैन** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/39 दिनांक 14.01.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 3 दिनांक 08.01.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय की गई **नमकीन सेव** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पायी गई। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है इसलिए अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.03.25 16:59:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड की गई **नमकीन सेव** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व **नियम** 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री आदेश जैन पुत्र श्री हजारीमल जैन मालिक विक्रेता मैसर्स हजारी नमकीन भण्डार, हाउसिंग बोर्ड सर्किल के पास, बॉसवाडा, (राज.) स्थायी पता – 1–जे–31, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, बॉसवाडा (राज.) को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू. दस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.03.25 16:59:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner